

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर (राज0)

अपील/रसद/31/2017

भूपेन्द्र कुमार उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नं0 14 तहसील डीग जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी,भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील विरुद्ध आदेश 103/2016 जिला रसद अधिकारी,
भरतपुर दिनांक 03-03-2017

उपस्थित :-

श्री पंकज कुमार अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक 28.05.2019

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 03-03-2017 के खिलाफ पेश की गई है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जप्त किये जाने की आज्ञा दी गई है। अपीलान्ट ने जिला रसद अधिकारी भरतपुर के उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से परोकार रसद उपस्थित। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्कों में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश विधि विरुद्ध है। उनका कहना है कि तहत न्यायालय अपने आदेश में किसी भी प्रकार से कोई आरोप अपीलान्ट सिद्ध नहीं किये हैं और ना ही अपीलाधीन आदेश में किसी भी प्रकार से किसी भी आरोप को सिद्ध मानने के लिये कोई विवेचन किया गया है। अपीलान्ट द्वारा उभोक्ताओं के बयान लिये गये। बयान में किसी भी प्रकार की उपभोक्ता शिकायत दर्ज नहीं कराई है। और अपीलांट ने किसी प्रकार का कोई गबन नहीं किया है। अपीलांट के खिलाफ निर्णय जिला रसद अधिकारी भरतपुर द्वारा यह कथन किया है कि आधारकार्ड का भिन्न राशनकार्डों में उपयोग करके अपीलांट ने खाद्य सामिग्री का गबन किया है। मौके के विपरीत कथन है कि खाद्य सूची में दर्ज कई उपभोक्ताओं के आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं। बिना आधार कार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामिग्री नहीं मिल सकती थी। इसी कारण उपभोक्ता अपीलांट से झगड़ा फसाद करते थे। जिससे राशन सामिग्री का वितरण मौके पर नहीं हो पाता था। इन तथ्यों को तहत न्यायालय ने अनदेखा कर दिया गया। तहत न्यायालय को अगर कोई सन्देह था उन्हें सम्बन्धित उपभोक्ताओं को तलब कर बयान वगैरा लेने चाहिये थे। तहत न्यायालय ने मात्र प्रस्तुत प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर दोषी करार देना कानून गलत है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि सभी उपभोक्ताओं को आनलाईन वितरण किया गया है। केवल कुछ उपभोक्ताओं

के राशन कार्ड में इन्द्राज नहीं होने मात्र से अपीलान्ट को दोषी नहीं माना जा सकता है जब कि सम्बन्धित उपभोक्ता ने अपने बयान में सामग्री प्राप्त करना स्वीकार किया है। राज. सरकार द्वारा आनलाईन से वितरण सम्बन्धित उपभोक्ता द्वारा अपना अगूठा निशान लगाये जाने के उपरान्त ही सामग्री वितरण होता है उसका मैसेज सम्बन्धित उपभोक्ता के मोबाईल पर जाता है। न्यायिक दृष्टि से कोई भी कानून तब ही लागू होता है जब कि तथ्यात्मक आरोप साक्ष्य के आधार पर सिद्ध हो जावें। यहाँ सामग्री नहीं मिलने की झूठी शिकायत की गई थी। अपीलान्ट पर कोई कालाबाजारी या गबन करने का कोई गंभीर आरोप नहीं है। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

पैरोकार रसद ने जाहिर किया कि अपीलार्थी उचित मूल्य दुकान की जांच शिकायत पर की गई जांच में पाया कि एक ही आधार आई डी का अलग अलग राशनकार्डों में इस्तेमाल कर पोश मशीन के माध्यम से ट्रांजेक्शन कर फर्जी वितरण किया गया है। जैसे आधार आई डी नं 747982245698 व 773778982888 अनेक राशनकार्डों से सीड कर गेंहू, कैरोसीन व चीनी का फर्जी ट्रांजेक्शन किया जाना स्पष्ट हुआ है। डीलर ने एक ही आधार आई डी नम्बर का दूसरे व्यक्तियों के राशनकार्डों में इस्तेमाल कर पोश मशीन के माध्यम से ट्रांजेक्शन कर फर्जी वितरण दर्शा कर गेंहू व कैरोसीन का दुरुपयोग किया है। जिसमें अन्य लोगों का सहयोग किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। खाद्य विभाग द्वारा प्रेषित ट्रांजेक्शन रिपोर्ट के अनुसार उक्त डीलर द्वारा बार-बार एक ही आधार कार्ड को अनेक राशनकार्डों में सीड व अनसीड कर कुल 1 क्वि0 5 किलो गेंहू, 12 लीटर तेल का फर्जी ट्रांजेक्शन कर गबन किया है। जो शिकायत के तथ्यों की पुष्टि करता है। न्यायालय ने उचित आदेश पारित किया गया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट के कथनों पर गौर किया गया। अपीलाधीन आदेश विधिवत् पारित किया गया है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली जिला रसद अधिकारी भरतपुर को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28-5-2019 को सुनाया गया।

(डॉ. आरुषी मलिक)
जिला कलक्टर
भरतपुर